संचिका सं0–7 / MCH -35-05/2026-27 - 299 (7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 23/07/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 2,01,00.000/– (रूपये दो करोड़ एक लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबंध मे कहना है कि विभागीय संकल्प सख्या–1017(1), दिनाक–28.08.2017, संकल्प सख्या–877(1), दिनांक–27.09.2022 एव संकल्प संख्या–919(1), दिनाक–08.09.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर में इन्टर्नशीप कर रहे छात्र/छात्राओं के छात्रवृति/इन्टर्नशीप के भुगतान हेतु कुल रू0 2,01,00,000/– (रूपये दो करोड एक लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन माग स0–20 के अतर्गत स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाए–एलोपैथी, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0008–श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर, विपत्र कोड–20-2210-01-110-0008 अतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद में उपबधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर होगे एव नियत्री पदाधिकारी, क्षत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए संबधित छात्रो को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि(2), दिनाक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/MCH -35-05/2026-27 के पृष्ठ–09/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमें सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) संबधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

23.7.26

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 7/MCH -35-05/2026-27- 899(7B) /स्वा0, पटना, दिनांक— 23/07/2026

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमडल, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—अधीक्षक, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव